भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1960

11 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों पर पड़ रहा वित्तीय दबाव

1960. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बढ़ती आदान लागतों, जलवायु संबंधी चुनौतियों और आर्थिक दबावों के कारण किसानों पर पड़ रहे बढ़ते वित्तीय दबाव के बावजूद गत वित्त वर्ष की तुलना में पीएम-किसान योजना हेतु आवंटन में कोई परिवर्तन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार का विशेषकर कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों के आलोक में, यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का विचार है कि पीएम-किसान योजना के अंतर्गत वर्तमान आवंटन, किसानों द्वारा सहायता की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा;

(ग) सरकार का इन समस्याओं का किस प्रकार समाधान करने का विचार है कि समान आवंटन सभी पात्र किसानों को शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, विशेषकर तब जबकि लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि जारी है; और

(घ) वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसानों, विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों के किसानों को और अधिक सार्थक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार पीएम-किसान योजना को और सुदृढ़ करने की योजना किस प्रकार बना रही है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा खेती योग्य भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में आरम्भ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों

के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया है।

भारत सरकार प्राय: राज्य सरकारों के साथ समन्वय में सेचुरेशन अभियान आयोजित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र किसान योजना से छूट न जाए। सभी पात्र किसानों को योजना से जोड़ने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा (वीबीएसवाई) के तहत 15 नवंबर, 2023 से प्रमुख राष्ट्रव्यापी सेचुरेशन अभियान शुरू किया गया। देश भर में वीबीएसवाई अभियान के दौरान 1.0 करोड़ से अधिक किसानों को कवर किया गया। इसके अतिरिक्त, नई सरकार की 100 दिनों की पहल के तहत, लगभग 25 लाख और पात्र किसानों को पीएम-किसान योजना में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त, स्व-पंजीकरण के लंबित मामलों को निपटाने के लिए 21 सितंबर, 2024 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत, अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 30 लाख से अधिक लंबित स्व-पंजीकरण मामलों को मंजूरी दी गई है। इन प्रयासों से 19वीं किस्त का लाभ 9.8 करोड़ से अधिक पात्र लाभार्थियों को जारी किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) ने 2019 में एक स्वतंत्र अध्ययन किया। इस अध्ययन के अनुसार, पीएम-किसान के तहत संवितरित धनराशि ने ग्रामीण आर्थिक विकास में उत्प्रेरक का काम किया है, किसानों की ऋण संबंधी बाधाओं को कम करने में मदद की है और कृषि इनपुट में निवेश बढ़ाया है। इसके अलावा, इस योजना ने किसानों की जोखिम लेने की क्षमता को बढ़ाया है, जिससे वे जोखिम भरे लेकिन तुलनात्मक रूप से उत्पादक निवेश करने के लिए प्रेरित हुए हैं। पीएम-किसान के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि न केवल उनकी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रही है, बल्कि यह उनकी शिक्षा, चिकित्सा, विवाह आदि जैसे अन्य आकस्मिक खर्चों को भी पूरा कर रही है। ये देश के किसानों पर इस योजना के सकारात्मक प्रभाव के संकेतक हैं। पीएम-किसान वास्तव में हमारे देश के कृषक समुदाय के लिए एक गेम चेंजर रहा है।

वर्तमान में, पीएम-किसान के अंतर्गत लाभ राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****